रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 207] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 15, 1970/अग्रहायण 24, 1892

No. 207] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 15, 1970/AGRAHAYANA 24, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December 1970

G.S.R. 2010.—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Supreme Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1959, namely:—

1. (1) These rules may be called the Supreme Court Judges (Travelling Allowance) (Second Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. In the Supreme Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1959, in rule 6,

(a) in sub-rule (1),

(i) clause (c) shall be omitted;

(ii) clause (d) shall be re-lettered as clause (c);

(iii) proviso (iii) thereto shall be omitted;

(b) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be added, namely:—

"(3) When a Judge retires from service, he and the members of his family shall be entitled to the following expenses for travel and for the transportation of personal effects from the place in which he was on duty prior to his retirement to the permanent residence in his home State declared for the purpose before retirement. If a Judge wishes to settle down at a place other than the permanent residence in his home State, the amount reimbursable to him on account of the expenditure actually incurred by him on his journey and the journey of the members of his family and for the transportation of personal effects shall be that which would have been admissible to him had he actually proceeded to his permanent residence in his home State or the amount reimbursable for journey to a place other than the permanent residence in his home State, whichever is less. The precise entitlement as aforesaid under these rules shall be as follows, namely:—

(a) when travelling by rail,

(i) the Judge himself may travel by a reserved compartment of the highest class, excluding the air conditioned class. The members of the family of the Judge may also travel in such reserved compartment;

(ii) members of his family not travelling in the reserved compartment may travel in the highest class of accommodation excluding the air conditioned class:

Provided that the Chief Justice may travel in an inspection carriage or in air conditioned coupe of two berths, if one is available;

(b) when travelling by road,

(i) an allowance at the rate of 64 paise per kilometer for the Judge himself;

(ii) for every member of his family either accompanying him or following him or preceding him, an allowance of 32 paise per kilometer for one member of the family, a further allowance of 32 paise per kilometer if two members of the family travel and a further 32 paise per kilometer if more than two members of the family travel:

Provided that when any portion of the journey can be performed by rail, the allowance claimed in respect of that portion shall not exceed the amount admissible had the Judge and the members of his family travelled on such portion by rail by the highest class, excluding air conditioned;

(c) for transportation of one motor car, by passenger train at owner's risk; and

(d) for transportation of other personal effects, not exceeding the expenditure which would be incurred in the transport of 2240 Kilograms of goods by road and by goods train and the expenditure incurred in loading and unloading such personal effects:

Provided that the above entitlement will lapse if the journey is not completed by the Judge within six months from the date of his retirement:

Provided further that the members of his family may follow him within six months or precede him by not more than one month, and the period of six months or one month, as the case may be, shall count from the date of retirement of the Judge.

Explanation.—For the purpose of this rule "members of a Judge's family" means his wife, his children and his step-children, normally residing with and wholly dependent on him".

[No. 1/31/70-Judl.III.]

H. K. L. CAPOOR, Jt. Secy.

गृह मन्त्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1970

जी० एस० आर० 2010:—उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 (1958 का 41) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, 1959 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) (द्वितीय संशोधन) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, 1959 के नियम, 6 में

(क) के उपनियम (1) में (i) खंड (ग) लुप्त कर दिया जायगा;

(ii) खंड (घ) को खंड (ग) के रूप में पुनराक्षरित किया जाएगा;

(iii) उसका परन्तुक (iii) लुप्त कर दिया जाएगा ।

(ख) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम जोड़ दिया जाएगा; अर्थात् :—

(3) जब कोई न्यायाधीश सेवा से निवृत्त होता है तब वह और उसके कटम्ब के सदस्य उस स्थान से जहां वह अपनी सेवा निवृत्ति से पूर्व ड्यूटी पर था, सेवा निवृत्ति से पूर्व इस प्रयोजनार्थ घोषित उनके मूल निवास वाले राज्य के स्थायी निवास स्थान तक यात्रा तथा व्यक्तिगत चीजवस्त के परिवहन के लिए निम्नलिखित व्ययों के हकदार होंगे । यदि कोई न्यायाधीश अपने मूल निवास वाले राज्य के स्थायी निवास-स्थान से भिन्न किसी स्थान पर बसना चाहता है तो अपनी और अपने कुटुम्ब के सदस्यों की यात्रा और व्यक्तिगत चीजवस्त के परिवहन पर उसके द्वारा वस्तुतः उपगत लेखे उसे प्रतिपूर्ति स्वरूप दी जा सकने वाली रकम उतनी, जितनी उसे उस दशा में अनुज्ञेय होती यदि उसने अपने मल निवास वाले राज्य के स्थायी निवास स्थान के लिए वस्तुतः यात्रा की होती या उतनी, जितनी उसके मल निवास वाले राज्य के स्थायी निवास से भिन्न किसी स्थान के लिए यात्रा की दशा में प्रतिपूर्ति स्वरूप दी जा सकती है, इन दोनों में से जो भी कम हो, होगी । इन नियमों के अधीन यथापूर्वोक्त प्रमित हक निम्नलिखित रूप में होगा, अर्थात् :—

(क) रेल द्वारा यात्रा करते समय.....

(i) स्वयं न्यायाधीश उच्चतम वर्ग के आरक्षित डब्बे में, जिसके अन्तर्गत वातानुकूलित वर्ग नहीं है, यात्रा कर सकता है । न्यायाधीश के कटुम्ब के सदस्य भी ऐसे आरक्षित डब्बे में यात्रा कर सकते है ।

(ii) उसके कुटुम्ब के सदस्य,जो आरक्षित डब्बे में यात्रा न कर रहे हों, उच्चतम वर्ग में; जिसके अन्तर्गत वातानुकूलित वर्ग नहीं है, यात्रा कर सकते हैं;

परन्तु मुख्य न्यायाधीश निरीक्षण वाहन या दो बर्थ वाले वातानुकूलित कूपे में, यदि उपलब्ध हो, तो यात्रा कर सकता है;

(ख) सड़क से यात्रा करते समय,

(i) स्वयं न्यायाधीश के लिए प्रति किलोमीटर 64 पैसे की दर से भत्ता;

(ii) उसके कुटुम्ब के प्रत्येक सदस्य के लिए जो उसके साथ यात्रा कर रहे हों या उसके पीछे आ रहे हों या उससे पहले चले गए हों, कुटुम्ब के एक सदस्य के लिए प्रति किलोमीटर 32 पैसे की दर से भत्ता, और यदि कुटुम्ब के दो सदस्य यात्रा करते हों, तो प्रति किलोमीटर 32 पैसे अतिरिक्त भत्ता और यदि दो सदस्यों से अधिक यात्रा करते हों तो प्रति किलोमीटर अतिरिक्त 32 पैसे भत्ता:

परन्तु जब यात्रा का कोई अंश रेल द्वारा सम्पन्न किया जा सकता है, तब उस अंश की बाबत वावाकृत भत्ता उस अनुज्ञेय रकम से उस दशा में अधिक नहीं होगा जिसमें न्यायाधीश और उसके कुटम्ब के सदस्यों ने ऐसे अंश की यात्रा उच्चतम वर्ग में, जिसके अन्तर्गत वातानुकूलित वर्ग नहीं है, रेल द्वारा की होती ;

(ग) स्वामी की जोखिम पर सवारी-गाड़ी से एक मोटर कार के परिवहन के लिए ;

(घ) अन्य व्यक्तिगत चीजवस्त के परिवहन के लिए उस व्यय से अनधिक व्यय जो सड़क द्वारा और मालगाड़ी द्वारा 2240 किलोग्राम माल के परिवहन में उपगत होगा, और ऐसी व्यक्तिगत चीजवस्त के लादने और उतारने में उपगत हो :

परन्तु यदि न्यायाधीश द्वारा सेवा निवृत्ति की तारीख से छःमास के अन्दर यात्रा पूरी नहीं की जाती है तो उपर्युक्त हक समाप्त हो जाएगा :

परन्तु यह और कि उसके परिवार के सदस्य छः मास के भीतर उसके पीछे आ सकते हैं या एक मास से अनधिक के पहले उससे पहले जा सकते हैं और यथास्थिति, छः मास की कालावधि की, न्यायाधीश की सेवा निवृत्तिकी तारीख से गणना होगी ।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजन के लिए, न्यायाधीश के कुटुम्ब के सदस्यों से अभिप्रेत है—उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसके सौतेले बच्चे जो प्रसामान्यतया उसके साथ रहते हों या उस पर पूर्णतया आश्रित हों ।

[सं० 1/31/70—न्या० III]

एच० के० एल० कपूर, सयुक्त सचिव, ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970